

Form- 1

(for linear projects)

Government of Rajasthan

Office of the District Collector Ajmer

No. 18923

Dated 11/9/2012

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition Of Forest Rights) Act, 2006 (FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th feb.2013, wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 3.6225 **Hectare** of forest land in ARADKA forest division Ajmer proposed to be diverted in favour of AEN (T&C) R.S.V.P.N. Ltd. BEAVER for LINE UPGRADATION 400 KV GSS AJMER TO 220 KV GSS BHAIRUNDA falls within jurisdiction of ARADKA villages in Ajmer Tehsil.

It is further certified that :

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out the entire 3.6225 **Hectare** of forest area proposed for diversion. There are no such Forest Dwellers Scheduled Tribes persons residing in the proposed area with rights Scheduled Tribe and other Traditional forest Dwellers (Recognition of Forest rights) Act 2006. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha (s), Sub-division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as **annexure 1 to 19 annexure**.
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it. Not Applicable
- (c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl;As above

(Arun Garg)
Chief Executive Officer
Zila parishad Ajmer

(Gaurav Goyal)
District Collector
Ajmer

Form- 1

(for linear projects)

Government of Rajasthan

Office of the District Collector Ajmer

No. 18923

Dated 11/9/2012

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition Of Forest Rights) Act, 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th feb.2013, wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 3.6225 Hectare of forest land in ARADKA forest division Ajmer proposed to be diverted in favour of AEN (T&C) R.S.V.P.N. Ltd. BEAVER for LINE UPGRADATION 400 KV GSS AJMER TO 220 KV GSS BHAIKUNDA falls within jurisdiction of ARADKA villages in Ajmer Tehsil.

It is further certified that :

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out the entire 3.6225 Hectare of forest area proposed for diversion. There are no such Forest Dwellers Scheduled Tribes persons residing in the proposed area with rights Scheduled Tribe and other Traditional forest Dwellers (Recognition of Forest rights) Act 2006. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha (s), Sub-division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as **annexure 1 to 9 annexure.**
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it. Not Applicable
- (c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl;As above

(Arun Garg)
Chief Executive Officer
Zila parishad Ajmer

(Gaurav Goyal)
District Collector
Ajmer

(A. K. SINGHAL)

Executive Engineer (R&O)
RVPNL. Ajmer

DFO

ग्राम समिति के अध्यक्ष कोल्ला लप दिनांक 26-5-17 के संज्ञा में आज दिनांक 22-6-17 को ग्राम सरदारी की वन आवधिक समिति के गठन हेतु बैठक का आयोजन रत्ना गमा जिस कायवाही इस प्रकार है।

वन आवधिक समिति में निम्न सदस्यों का चयन सर्वसम्मति से किया गया।

क्र.सं	नाम सदस्य
01	कन्हैयालाल १/० श्री रामसभा वैराग
02	कमला ५/० सुमतीराम
03	गीता ५/० श्री पीरु
04	सकीला ५/० जमाल
05	मदीना ५/० गुलशेर
06	लक्ष्मणा १/० मेरेला गुर्जर
07	गोश्वान १/० बुरुकोरम शर्मा
08	शंकर सिंह १/० गंगा सिंह
09	लक्ष्मी मोहम्मद १/० हुसैन लाल
10	गैक १/० रामा

उक्त सदस्यों का चयन कर समिति ने आयोजित जिसमें श्री कन्हैयालाल को वन आवधिक समिति अध्यक्ष एवं श्रीमती कमला को सचिव पद पर चुना गया।

1. श्री कन्हैयालाल वैराग - अध्यक्ष
2. श्रीमती कमला - सचिव

अध्यक्ष व सचिव का सर्वसम्मति से चुनाव किया गया है। बैठक का सफलतापूर्वक समापन हुआ गया।

1	कन्हैयालाल	6	लक्ष्मणा
2	कमला	7	गोश्वान
3	गीता	8	शंकर सिंह
4	सकीला	9	लक्ष्मी
5	मदीना	10	गैक

(A. K. SINGHAL)
Executive Engineer (T&C)
RVPNL, Ajmer

दिनांक 22-05-2017

आज्ञा दिनांक 22-05-17 को ग्राम डारडका को नव
बोर्डकार समिति का गठन किया गया। इस समिति
में श्री कन्हैया लाल बेरवा को अध्यक्ष एवं
श्रीमती ममला को समिति का सचिव चुना गया।
श्रीमान उपर्युक्त अधिकारी अजमेर को समिति का
गठन कर सुझाव पत्रिका की जारी है।

कन्हैया लाल



(A. K. SINGHAL)
Executive Engineer (T&C)
RVPNL, Ajmer

वन अधिकार समिति की बैठक

आज दिनांक 03-08-17 को वन अधिकार समिति की बैठक का आयोजन किया गया बैठक की अध्यक्षता श्री कन्हैयालाल बेहवाल द्वारा की गई।

आज दिनांक 03-08-17 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार "राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम" के तहत प्रस्तावित वन भूमि के सम्बन्ध में ग्राम अरडका ग्राम पंचायत अरडका में अनुसूचित अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की राजस्व) अधिनियम 2006 नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत परामर्श कोई भी वन अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी का व्यक्ति समुदाय उक्त अधिनियम नियमों के अन्तर्गत इस किसी भी प्रकार के वन अधिकार हेतु अपरोक्ष अधिनियम एवं नियम में उल्लेखित प्राप्ति नहीं करता/प्रमाणित नहीं होता है।

अतः इस संबंध में सजायति प्रमाण पत्र जारी करने की अनुमति की जाती है।

गीता

समीक्षा

सदस्य

लक्ष्मी

चैत

कन्हैयालाल

अध्यक्ष

कमल

सदीना

शिवर सिंह



(A. K. SINGHAL)
Executive Engineer (T&C)
RVPNL, Ajmer

20/08/2017

ग्राम सभा (ग्राम सभा)

दिनांक 26/05/2017

आज दिनांक 26/05/2017 को श्रीमान कार्जुन
 जिला के साविकारी, श्रीनगर के साविकारी
 जिला साविकारी श्रीनगर 2017-17 दिनांक
 25/05/2017 को अनुपालना में ग्राम सभा का
 कार्यक्रम ग्राम पंचायत कार्यालय पर सांवे 11.00
 बजे सार्वजनिक श्रीमान सम्पन्न सिंह साविकारी
 अध्यक्षता में सुरू हुआ जिसमें ग्राम के सभी
 ग्रामवासीगणों की उपस्थिति में केवल एक घंटे
 में ग्राम सभा सुरू की गयी जिसमें और
 एक घंटे पर सिके के साविकारी कार्यालय
 बाहरी मौजूद रहे —

क्र.सं.	श्रीमान	पद	संख्या
01	श्रीमान सिंह साविकारी	सार्वजनिक	1
2	श्रीमान सिंह	L.O.C	1
3	श्रीमान सिंह	पंचायत	1
4	श्रीमान सिंह	पंचायत	1
5	श्रीमान सिंह	पंचायत	1
6	श्रीमान सिंह	पंचायत	1
7	श्रीमान सिंह	पंचायत	1
8	श्रीमान सिंह	पंचायत	1
9	श्रीमान सिंह	पंचायत	1
10	श्रीमान सिंह	पंचायत	1

(A. K. SINGHAL)
 Executive Engineer (T&C)
 RVPNL, Ajmer

पुनः-01 :- गाऊं सगा में दिहली राक
 समा की गल्लर काँचरी के पड़त पुनामा
 गगा जिक पर लगी के पुनामा के आगे
 किया गया +

पुनः-02 :- गुग सगा में आगावाह मोजन,

के आगावाह में दिहली जेन कजाज करी गोजनारी
 के लज्जतारिह किसे जेन लागी के दा पुनामा
 पुनः-03 के पड़त पुनामा गगा जिक में आगावाह
 में गगा के लगे लगी के जलजली लगी
 के दिहली. गुग सगा में पेरन रुदि के दिहली
 आगावाह गुग पेरन दिह रही है पड़त
 पुनामा गगा। राक लगी के लगी गुग सगा
 के पुनामा के पड़त पुनामा - गगा। रक
 गगा पगा में जिन लगी के आगावाह के दिहली
 लगे लगी के आगावाह के दिहली के दिहली
 आगावाह पेरन द्वारा गुग के दिहली पेरन
 किया गया।

पुनः-04 :- लगी राक लगी के आगावाह के दिहली
 लगी के दिहली के दिहली के दिहली के दिहली
 लगी के दिहली के दिहली के दिहली के दिहली

Fuller
 (A. K. SINGHAL)
 Executive Engineer (T&C)
 RVPNL, Ajmer

- (1) लगी के दिहली के दिहली के दिहली के दिहली
- (2) लगी के दिहली के दिहली के दिहली के दिहली
- (3) लगी के दिहली के दिहली के दिहली के दिहली
- (4) लगी के दिहली के दिहली के दिहली के दिहली
- (5) लगी के दिहली के दिहली के दिहली के दिहली
- (6) लगी के दिहली के दिहली के दिहली के दिहली
- (7) लगी के दिहली के दिहली के दिहली के दिहली
- (8) लगी के दिहली के दिहली के दिहली के दिहली
- (9) लगी के दिहली के दिहली के दिहली के दिहली
- (10) लगी के दिहली के दिहली के दिहली के दिहली

पृ. नं० ५ आज दिनांक 26-05-2017 को सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम अरुंका की वन अधिकार समिति का गठन किया जावे।

पृ. सं० 5 साहायक अभियंता लखन के छोटे 32 दिनांक 17-05-17 के त्रुटि में 2007 के बी डबल साइड गैजेट में के निर्माण हेतु ग्राम समा अरुंका की अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन (वन अधिकारी की मांगता) जाहा गया है। यह चार्ज विभाग द्वारा कराया जाता है तो इस ग्राम समा को कोई आपत्ति नहीं है।

अतः ग्राम समा केक दिनांक 26-05-17 प्रस्ताव संख्या 5 के निर्णय अनुसार प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम अरुंका के वन प्रस्तावित पत्र भूमि के संबंध में एफ०आर०ए० सर्टिफिकेट जारी किया जावे लाकू अनुसूचित / जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारी की मांगता) अधिनियम 2006 नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत परिभाषित कोई भी अनुसूचित / जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी व्यक्ति / समुदाय उक्त अधिनियम / नियमों के अन्तर्गत देश किसी भी उक्त के वन अधिकार हेतु उपरोक्त अधिनियम एवं नियमों के उल्लंघन पात्रा नहीं रहता / प्रमाणित नहीं होता है। अतः इस संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करके वन अधिकार की जाती है।


(A. K. SINGHAL)
Executive Engineer (I & E)
RVPNL, Ajmer

पृ. सं० 6 ग्राम पंचायत अरुंका के ग्राम अरुंका, गरीबी होशीयारा, लागपुरा के सभी गली-गोदालों को साफ-सफाई करने का सर्वसम्मति से प्रस्ताव लिखा गया व कचरे को एकत्रित करने गांव से दूर अन्य स्थान पर न डाला जाये जिससे स्वच्छ भारत अभियान के पूर्ण भागीदारी

रुक्मिणी देवी

गौरव मल

आ लता

जि कनदी

शामरतन

अनुराधा

विमल

जिना

विजय

सुरेश

सुनील लाल

दीपक

अश्व

जीवादा

वीरू कुमार

प्राच्य शर्मा

अरुण शर्मा

अरुण

आवर लाल हलवाई

अनुराधा

विजय

जी कलाल

अश्व

अनुराधा

अरुण शर्मा

वीरू - अरुण

अश्व शर्मा

अनुराधा

अश्व शर्मा

अश्व शर्मा

अश्व शर्मा

अश्व शर्मा

अनुराधा

अश्व शर्मा

अश्व शर्मा

शिवराज गुजाल सौराज

अश्व शर्मा

अनुराधा

अश्व शर्मा

अश्व शर्मा

(A. K. SINGHAL)
Executive Engineer (T&C)
R.P.N.L. Ajmer

अनुराधा

अनुराधा

अनुराधा

अनुराधा

अनुराधा

अनुराधा

अनुराधा

अनुराधा

रिपोर्ट

दि. 21/11/2019

21/11/2019

उपस्थित

वेब/3/3

म. म. म.

म. म. म.

पु. म. म.

उ. म. म.

पु. म. म.

म. म. म.

म. म. म.

म. म. म.

पु. म. म.

म. म. म.

म. म. म.

म. म. म.

म. म. म.

म. म. म.

म. म. म.

म. म. म.

म. म. म.

म. म. म.

म. म. म.

म. म. म.

म. म. म.

म. म. म.

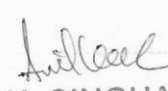
म. म. म.

म. म. म.

म. म. म.

म. म. म.

म. म. म.



(A. K. SINGHAL)
Executive Engineer (T&C)
RVPNL, Ajmer

[illegible]

कार्यालय ग्राम पंचायत, अरड़का

पंचायत समिति - श्रीनगर, जिला - अजमेर (राज.)

प्रेषक :
सम्पतसिंह राठौड़
सरपंच, ग्राम पंचायत अरड़का
M. : 9610559090



प्रेषित ... श्रीमान् विकास अधिकारी महोदय
ग्राम पंचायत समिति श्रीनगर
अजमेर

क्रमांक / 570/31/09/2017

दिनांक 5/7/17

विषय - वन अधिकार अधिनियम 2006 की धारा 312 के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के इरादे

पत्र :- श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय अजमेर के पत्र सं 7836-37 दि 7/6/17 के

विषय उपरोक्त विषयवस्तु प्रांगिक पत्र आ.प. अरड़का की तैयारी दिनांक 5/7/17

कोरम ई सगल अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी हेतु प्रस्तुत होने पर आ.प. ई 9.50 ई अरड़का 220 के वी इतल सर्वेड लार्डन ई निर्माण हेतु 400 के वी जी एस एस अजमेर से 220 120 जी एस एस भैरवा तक जागे वाली लार्डन को कि आ.प. अरड़का ई सर्वेड न. व अंका सं-666/15 से 1143 ईक्ट. 0.94 ईक्ट. 19 से 0.47 ईक्ट. 77 से 0.22 76 से 1.13 ईक्ट. 23 से 0.65 ईक्ट. इन अंका न. 1 नाकालिल काबल बरकात असर के अंका 60 से 0.54 (कुल 3.92 ईक्टर) ई अग्रे प्रभावितन ई संवेन्दा मे पत्र जारी नही हुआ है, व और न कोई लमिनर है।

अह अनापत्ति प्रमाण पत्र अरड़का की प्रांगिक तैयारी दिनांक 5/7/17 ई प्रभाव सगल (03) की पालना मे पैष्य है।

प्रतिक्रिया प्रेषित

① श्रीमान् उपलब्ध अधिकारी महोदय
जिला अजमेर

(A. K. SINGHAL)
Executive Engineer (T&C)
RVPNL, Ajmer

(Signature)
अ.प. अरड़का
ग्राम पंचायत समिति
श्रीनगर (अजमेर)

कार्यालय ग्राम पंचायत, अरड़का

पंचायत समिति - श्रीनगर, जिला - अजमेर (राज.)

प्रेषक :
सम्पतसिंह राठौड़
सरपंच, ग्राम पंचायत अरड़का
M. : 9610559090



सत्यमेव जयते

प्रेषित

क्रमांक ... 577/0/2017

दिनांक ... 5/7/20

अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि गौम ~~सुडिना~~ अरड़का के खसरा नं. 2 कागस. 646/खसरा नं. 15 में 0.91 हेक्टर, 19 में 0.47 हेक्टर, 77 में 0.22 हेक्टर, 76 में 1.13 हेक्टर, 23 में 0.65 हेक्टर खसरा नं. 01 का कलिसकाइत करदा तथा ऊसर के खसरा नं. 6 में 0.54 हेक्टर (कुल 3.92) हेक्टर में अड्डाविल वन गाँव और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता अधिनियम 2006 के तहत कोई कार्य नहीं किया जाता है, यदि इफल समिटर गैर वन कार्य किया जाता है तो ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है

प्रमाण पत्र आज दिनांक 5/7/17 एव पंचायत के प्रत्येक सदस्य के पर लिखे गये निर्णय के आधार पर जारी किया जाता है।

(Signature)

(Signature)
(A. K. SINGHAL)
Executive Engineer (T&C)
RVPNL, Ajmer

ग्राम पंचायत अरड़का
पं. अ. श्रीनगर (अजमेर)

पर्यावरण ग्राम पंचायत, अरड़का

पंचायत समिति - श्रीनगर, जिला - अजमेर (राज.)

प्रेषक :
सम्पतसिंह राठौड़

सरपंच, ग्राम पंचायत अरड़का
M. : 9610559090



सत्यमेव जयते

प्रेषित श्री गण विकास अधिकारी महोदय
पंचायत समिति श्रीनगर
अजमेर

क्रमांक ७७.प.अ./०९ संशोधित २०१७

दिनांक ०३/०८/२०१७

विषय :- वन अधिकार अधिनियम २००६ की धारा ३१२ के तहत
अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के बारे में।

महोदय

जब

3/8/17

उपरोक्त विषयान्वयि निवेदन है कि ग्राम पंचायत अरड़का के
पत्र क्रमांक :- ७७.प.अ./०९/२०१७ दिनांक ३०/७/२०१७ को
संशोधित करते हुए कि ग्राम अरड़का के खसरा के खाला
खसरा ६६६ खसरा नं. १५ में से ०.९७३४ हेक्टर, १९ में से
०.५०६४ हेक्टर ७७ में से ०.२३३७ हेक्टर, ७६ में से १.२०
हेक्टर, २३ में से ०.७०१० हेक्टर में (कुल अरमी ३.६२२५ हेक्टर)
अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी
(वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम २००६ के तहत
कोई कार्य नहीं किया जाता है। यदि इस अरमी पर
गैर वन कार्य किया जाता है तो ग्राम पंचायत को कोई
आपत्ति नहीं है।

प्रति निम्न प्रेषित

१) श्रीमान् उपरवर्त अधिकारी महोदय
जिला - अजमेर

(A. K. SINGHAL)
Executive Engineer (T&C)
RVPNL, Ajmer

ग्राम पंचायत अरड़का
पं.स. श्रीनगर (अजमेर)

ग्रामीण ग्राम पंचायत, अरड़का

पंचायत समिति - श्रीनगर, जिला - अजमेर (राज.)

प्रेषक :
सम्पतसिंह राठौड़

सरपंच, ग्राम पंचायत अरड़का
M.: 9610559090



सत्यमेव जयते

प्रेषित

क्रमांक ७७५/१० मंडोचित २०१७

दिनांक ०३/०८/२०

अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जॉन अरड़का के खसरा के खता सरख, ६६६/खसरा नं. १५ में से ०.९७३८ हॅक्टर १९ में से ०.५०६५ हॅक्टर ७० में से ०.२३३७ हॅक्टर, ७६ में से १.२०७६ हॅक्टर २३ में से ०.७० हॅक्टर (कुल खसरा ३.६२२५ हॅक्टर) में अदखल जम आति शर्मा के अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) के अधिनियम २००६ के तहत कोई कार्य नहीं किया जाता है, यदि इस खसरा पर गैरवन कार्य किया जाता है तो जॉन पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है, इस अनापत्ति प्रमाण पत्र को दिनांक ०५/०८/१७ को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र जो कि जॉन पंचायत के बैंक के अखाता नं. ०३ के लिए मंडोचित माना जाय।

(A. K. SINGHAL)
Executive Engineer (T&C)
RVPNL, Ajmer

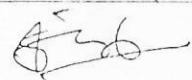
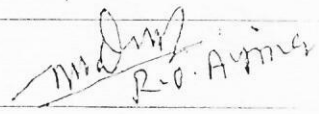
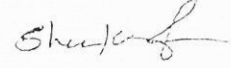
ग्राम पंचायत अरड़का
पं.स. श्रीनगर (अजमेर)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर

वैठक कार्यवाही विवरण

आज दिनांक 08.08.2017 को उपखण्ड अधिकारी अजमेर के कक्ष में दोपहर 2.00 बजे श्रीमान जिला कलक्टर महोदय अजमेर क्रमांक कअ/राजस्व/ 17/8917 -20 दिनांक 23.06.2017 के क्रम में 400 केवी जीएसएस अजमेर से 220 केवी जीएसएस भैरुन्दा के मध्य लाईन निर्माण हेतु ग्राम अरडका के खसरा नम्बर 23 रकबा 0.7010 हैक्ट. खसरा नम्बर 76 रकबा 1.2076 हैक्ट. खसरा नम्बर 77 रकबा 0.2337 हैक्ट. खसरा नम्बर 19 रकबा 0.5064 हैक्ट. एवं खसरा नम्बर 15 रकबा 0.9738 हैक्ट. (कुल 3.6225 हैक्ट.) वन भूमि के संबंध में एफ.आर.ए. सार्टिफिकेट चाहा गया है।

अतः प्रस्तावित वन भूमि के संबंध में एफ.आर.ए. सार्टिफिकेट जारी किये जाने वावत अनुसूचित जाति/जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 की क्रियान्विति हेतु उपखण्ड अधिकारी अजमेर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई जिसमें निम्नांकित सदस्यगण उपस्थित हुए :-

क्रम संख्या	नाम अधिकारीगण/सदस्य	हस्ताक्षर
1	श्री अंकित कुमार सिंह उपखण्ड अधिकारी, अजमेर	
2	विकास अधिकारी पंचायत समिति श्रीनगर श्रीश्यामजीराजे A En. Srinagar	
3	तहसीलदार अजमेर	
4	क्षेत्रीय वन अधिकारी अजमेर	
5	श्री राजकुमार सदस्य पंचायत समिति श्रीनगर	
6	श्री शंकर सिंह रावत सदस्य पंचायत समिति श्रीनगर	
7	सीमा रावत सदस्य पंचायत समिति श्रीनगर	
8	सहायक अभियंता (टीएण्डसी) रा.रा.वि.प्र. नि. ब्यावर	
9		

आज इस बैठक में सर्वसम्मति से 400 केवी जीएसएस अजमेर से 220 केवी जीएसएस भैरुन्दा के मध्य लाईन निर्माण हेतु प्रस्तावित वन भूमि के संबंध में एफ.आर.ए. सार्टिफिकेट जारी किये जाने के संबंध में कोई दावा /आपत्ति पेश नहीं हुए हैं और तहसील क्षेत्र अजमेर में अनुसूचित जाति/जनजाति व अन्य परम्परागत वन निवासी क्षेत्र नहीं होने से उक्त कार्य वावत बैठक कार्यवाही विवरण एवं बाँटल प्रमाण पत्र श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, अजमेर को भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया। अतः बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

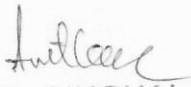

(A. K. SINGHAL)
Executive Engineer (T&C)
RVPNL, Ajmer


उपखण्ड अधिकारी
अजमेर

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर

प्रमाण - पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि तहसील अजमेर के ग्राम अरडका 400 केवी जीएसएस अजमेर से 220 केवी जीएसएस भैरुन्दा के मध्य लाईन निर्माण हेतु ग्राम अरडका के खसरा नम्बर 23 रकबा 0.7010 हैक्ट. खसरा नम्बर 76 रकबा 1.2076 हैक्ट. खसरा नम्बर 77 रकबा 0.2337 हैक्ट. खसरा नम्बर 19 रकबा 0.5064 हैक्ट. एवं खसरा नम्बर 15 रकबा 0.9738 हैक्ट. (कुल 3.6225 हैक्ट.) निर्माण में अनुसूचित जाति/जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के अंतर्गत परिभाषित कोई भी अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी का व्यक्ति/समुदाय उक्त अधिनियम/नियमों के अंतर्गत देय किसी भी प्रकार के वन अधिकार हेतु उपरोक्त अधिनियम एवं नियम में उल्लेखित पात्रता नहीं रखता/प्रभावित नहीं होता है। अतः इस संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।


(A. K. SINGHAL)
Executive Engineer (T&C)
RVPNL, Ajmer


(अंकित कुमार सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
अजमेर

कार्यालय जिला परिषद, अजमेर

क्रमांक / जिपअ / वन अधिकार / 16 /

दिनांक

बैठक सूचना

श्रीमान जिला कलेक्टर अजमेर के पत्रांक 8917-20 दिनांक 23.06.2017 के तहत परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत सहायक अभियंता (टी.एण्ड सी) ब्यावर द्वारा ग्राम अरडका 400 केवी जीएसएस अजमेर से 220 केवी जीएसएस भैरुंदा के मध्य लाईन निर्माण हेतु ग्राम अरडका के खसरा नं. 23 रकबा 0.7010 हैक्टे. खसरा नं. 76 रकबा 1.2076 हैक्टे. खसरा नं. 77 रकबा 0.2337 हैक्टे. खसरा नं. 19 रकबा 0.5064 हैक्टे. एवं खसरा नं. 15 रकबा 0.9738 हैक्टे. (कुल 3. 6225 हैक्टे.) वन भूमि के संबंध में F.R.A. CERTIFICATE चाहा गया है।

वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत ~~Revised~~ F.R.A. CERTIFICATE जारी करने हेतु जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 04-09-2017 को प्रातः 11.00 बजे श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आमन्त्रित की जा रही है। सदस्यों से निवेदन है कि कृपया बैठक में पधारने का श्रम करावे।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद, अजमेर।

दिनांक :- 30/8/17

क्रमांक :- जिपअ / वन अधिकार / 2016 / 18284-92

प्रतिलिपी निम्नांकित को सूदनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सहायक श्रीमान जिला कलेक्टर, अजमेर।
2. निजी सहायक मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, अजमेर
3. उपखण्ड अधिकारी, अजमेर
4. उप वन संरक्षक, अजमेर।
5. तहसीलदार, अजमेर।
6. सहायक अभियंता (टी एण्ड सी) राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि. ब्यावर।
7. श्री शिवराज भील, जिला परिषद सदस्य, अजमेर।
8. श्रीमती सरोज देवी, जिला परिषद सदस्य, अजमेर।
9. श्रीमती डॉ० अनिता बैरवा, जिला परिषद सदस्य, अजमेर।


(A. K. SINGHAL)
Executive Engineer (T&C)
Rajasthan, Aimer

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद, अजमेर

DFO

कार्यालय जिला परिषद, अजमेर

बैठक उपस्थिति दिनांक 04.09.2017

परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत बैठक में निम्नलिखित सदस्य/अधिकारीगण उपस्थित हुये :-

क्र.स.	नाम अधिकारी/सदस्य	पद	हस्ताक्षर
1	श्री गौरव गौयल	जिला कलक्टर अजमेर	
2	श्री अरुण गर्ग	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अजमेर	
3	श्री संजय माथुर	अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, अजमेर	
4	श्री अजय चित्तोडा	उप वन संरक्षक, अजमेर	
5	श्री अंकित के. सिंह	उपखण्ड अधिकारी, अजमेर	
6		तहसीलदार अजमेर	
7	श्री हरिबा चन्द	सहायक अभियंता (टी एण्ड सी) रा.रा.विद्युत प्रसारण निगम लि० ब्यावर जिला अजमेर	
8	श्री शिवराज भील	जिला परिषद, सदस्य	
9	श्रीमती सरोज देवी	जिला परिषद, सदस्य	


(A. K. SINGHAL)
Executive Engineer (T&C)
RVPNL, Ajmer

कार्यालय जिला परिषद, अजमेर

क्रमांक : जिपअ/वन अधिकार/2017/ 18922

दिनांक: 11/9/2017

बैठक कार्यवाही विवरण

जिला स्तरीय परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 04.09.2017 का कार्यवाही विवरण :-

जिला स्तरीय परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 04.09.2017 को सभागार जिला कलेक्टर, अजमेर में जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुयी । बैठक में प्राप्त निम्न प्रस्ताव पर चर्चा की गई :-

श्रीमान कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजमेर के पत्रांक कअ/राजस्व/2017/8917-20 दिनांक 23.06.2017 की अनुपालना में सहायक अभियंता (टी एण्ड सी) राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि. ब्यावर से प्राप्त प्रस्ताव जो कि ग्राम अरडका 400 केवी जीएसएस अजमेर से 220 केवी जीएसएस भैरुंदा के मध्य लाईन निर्माण हेतु ग्राम अरडका के खसरा नं. 23 रकबा 0.7010 हैक्टे. खसरा नं. 76 रकबा 1.2076 हैक्टे. खसरा नं. 77 रकबा 0.2337 हैक्टे. खसरा नं. 19 रकबा 0.5064 हैक्टे. एवं खसरा नं. 15 रकबा 0.9738 हैक्टे. (कुल 3. 6225 हैक्टे.) वन भूमि के संबंध में F.R.A. CERTIFICATE चाहा गया है।

समिति द्वारा उक्त प्रकरण में विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि अजमेर जिले में अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006, नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत परिभाषित कोई भी अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी का व्यक्ति/समुदाय उक्त अधिनियम/नियमों के अन्तर्गत देय किसी भी प्रकार के वन अधिकार हेतु उपरोक्त अधिनियम एवं नियम में उल्लेखित पात्रता नहीं रखता है । अतः सहायक अभियंता (टी एण्ड सी) राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि. ब्यावर द्वारा चाहा गया एफ0आर0ए0 प्रमाण पत्र जारी करने की सहमति प्रदान की जाती है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद, अजमेर

उप वन संरक्षक
अजमेर

जिला कलेक्टर
अजमेर

तहसीलदार
अजमेर

उपखण्ड अधिकारी
अजमेर

सहायक अभियंता (टी एण्ड सी)
रा.रा.वि.प्र.नि.लि.ब्यावर

सदस्यगण :

शरीज मेहता

DFO

Executive Engineer
RVPNL, Ajmer

FORM – I

(for linear projects)

Government of Rajasthan
Office of the District Collector, Nagaur

No. F.12(Rev)/2017/ 4756

Date : 3/8/17

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter no. 11-9/98 –FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **1.12 hectares (220 KV-Double circuit Ajmer-Bherunda- Line)** of forest land proposed to be diverted in favour **Rajasthan Rajya Vidyut prasaran Nigam Limited for Constructing 220 KV-Double circuit Ajmer-Bherunda Line** (purpose for diversion of forest land) in **Nagaur** district falls within jurisdiction of **Parbatsar** tehsils.

- The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **1.12 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub Division Level Committee(s) are enclosed
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it ;
- The proposals does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agriculture communities.

Enclosure District Level Meting Proceeding & Block Level Meting Proceeding


(Kumar Pal Gautam)
District Collector,
Nagaur

FORM - I

(for linear projects)

Government of Rajasthan
Office of the District Collector, Nagaur

No. F.12(Rev)/2017/ 4756

Date : 3/8/17

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter no. 11-9/98 -FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **1.12 hectares (220 KV-Double circuit Ajmer-Bherunda- Line)** of forest land proposed to be diverted in favour **Rajasthan Rajya Vidyut prasaran Nigam Limited for Constructing 220 KV-Double circuit Ajmer-Bherunda Line** (purpose for diversion of forest land) in **Nagaur** district falls within jurisdiction of **Parbatsar** tehsils.

- The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **1.12 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub Division Level Committee(s) are enclosed
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it ;
- The proposals does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agriculture communities.

Enclosure District Level Meting Proceeding & Block Level Meting Proceeding


 (A. K. SINGH)
 Executive Engineer (T&C)
 RVPNL, Ajmer


 (Kumar Pal Gautam)
 District Collector,
 Nagaur

दिनांक 18-05-2017 समय 11.00 Am

11

ग्राम सभा

मामाशाह गांव

आज दिनांक 18-05-2017 को सम्पन्न की अल्प सेवा केन्द्र पर निम्न विकास अधिकारी महीदया पंच 80 परमेश्वर के आदेश क्रमांक 307 दिनांक 10-05-2017 की अनुपालना में मामाशाह ग्राम की प्रशासनिक रिपोर्ट व आठ लाली का अकेशन किया है। ग्राम सभा का आयोजन निम्न निम्नी राजेश्वरी की सरपंच महीदया की अध्यक्षता में किया जाना है।

ग्राम सभा में उपस्थित जनप्रतिनिधि व अधिकारीगण कार्यवाहीगण का नाम मप पड

क्र	नाम मप पड	निवास का	हस्ताक्षर
1.	निम्नी राजेश्वरी (उप) सरपंच		राजेश्वरी
2.	भोवरमाल-बाईन पंचायी	80948178	भोवरमाल
3.	विद्यापति पंचायी	V.L.W. 94616380/0	विद्यापति
4.	सोनीय सिंह गतारो मधायन		
5.	पन्ना राम वाई पंच	8929 857819	पन्ना
6.	बुध्मारा राम वाई पंच		बुध्मारा
7.	मुक्ति वाई पंच		
	निर्मला देवी वाई पंच	7568612602	निर्मला
	सरजू देवी वाई पंच	9829667993	सरजू
	पद्मावती उपनयन	9166 832847	पद्मावती
		7742714777	पद्मावती

(A. K. SINGHAL)

Executive Engineer

R.V.

प्रमाण सं १

क्र.सं.	नाम भय पद	जोडावली,	ए.ता.सं.	विशेष
	सुमिता शर्मा A.W.W. कापेट्टा	9649666850	सुमिता शर्मा	
	विगेदकंवर A.W.W. सुविंदर	9799893229	विगेदकंवर	
	मन्जुर्वेळार (साधिन)	9849464034	मन्जुर्वेळार	
	पुशीलावेळार आशा	8107384616	पुशीलावेळार	
	प्रकाशमालाका २ साठे पुरव	9001570724	प्रकाशमालाका	

Inel 1000

(A. K. Sharma)
Executive Engineer (T&C)
RVPNL, Ajmer

50003

सहायक जमीनदा व्यावर के पत्रांक 32 दिनांक
17.4.2017 के क्रम में 220 के.जी. डबल साईड
अजमेर मैकडा लाइन के निर्माण हेतु ग्राम सभा
रुठाडियास से अनुमति/जनजाति और अन्य
परम्परागत वन (वन अधिकारी की मान्यता) चाहा
गया है।

यह कार्य विभाग द्वारा करवाया जाता है
वा इस ग्राम सभा को कोई आपत्ति नहीं है।

अतः ग्राम सभा के 86 दिनांक 28-05-2017
प्रस्ताव सं. 03 के निर्णय अनुसार प्रमाणित
किया जाता है कि ग्राम रुठाडियास के तहत
प्रस्तावित वन भूमि के संबंध में एफ.आर.
ए. साइट फिक्स्ड जारी किये जाने बाबत
अनुमति/जनजाति और अन्य परम्परागत
वन निकासी (वन अधिकारी की मान्यता)
आधीनियम 2006 नियम 2008 तथा संशोधित
नियम 2012 के अन्तर्गत परिभाषित कोई भी
अनुमति/जनजाति एवं अन्य परम्परागत
वन निकासी व्यक्ति/समुदाय अथवा अधिकारी
नियमों के अन्तर्गत इस फिक्स्ड प्रकार
के वन अधिकारी हेतु उपरोक्त आधीनियम एवं नियमों
में उल्लेखित पावता नहीं रखता। प्रमाणित नहीं
होता है। अतः इस संबंध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र
जारी करने की अनुमति दी जाती है।

(Signature)

(A. K. SINGHAL)
Executive Engineer (T&C)
RVPNL, Ajmer

हस्ताक्षर

डॉ. नि. पी. वलराज

५

५१३६२१२४

४४२६४२४२४

पुष्पकान्त पटेल

४२४२४२४२४

श्री. श्री. श्री.
भारत कपूर

श्री. श्री. श्री.

श्री. श्री. श्री.

श्री. श्री. श्री.

श्री. श्री. श्री.

श्री. श्री. श्री.

A. K. Singhal
(A. K. SINGHAL)
Executive Engineer (T&C)
RVPNL, Ajmer

A. K. Singhal

20/11/17

21/11/17

20/11/17

20/11/17
K11275185
1065955595

20/11/17

20/11/17

20/11/17

20/11/17

(A. K. SINGHAL)
Executive Engineer (T&C)
RVPNL, Ajmer

Baldev Singh

हस्ताक्षर :-

जोधा मालिका

~~SPK~~

आ.प्र. नामप्रीत

~~SPK~~

~~SPK~~

मूलकी

शिवराग सिंह

सीना

अनन्दादराक

रेखा

राजपु

मोहनी

~~SPK~~

मिण्ड

दुमिश

~~नामप्रीत~~

नामप्रीत

नामप्रीत

मोहनी आजीन

पनाशाम

~~नामप्रीत~~
~~नामप्रीत~~
~~नामप्रीत~~

(A. K. SINGHAL)
Executive Engineer (T&C)
RVPNL, Ajmer

आ.प्र. नामप्रीत

~~नामप्रीत~~

ETHEL

0
ETHEL

Charan Singh

अ. नं. 2

Jubin

11/11/21

दीपिका
ज. र. वि. मंड.

अ. नं. 2
01/11/21
अ. नं. 2

अ. नं. 2
अ. नं. 2

अ. नं. 2

अ. नं. 2

अ. नं. 2

अ. नं. 2

अ. नं. 2

(A. K. SINGHAL)
Executive Engineer (T&C)
RVPNL, Ajmer

अ. नं. 2

अ. नं. 2

अ. नं. 2

अ. नं. 2

मेजर लाल

ड. न. सुजवाड़ा

ड. र. चोपड़ा

ड. ए. श्रीवास्तव

ड. न. यशोवर्धन

(M) Munder

ड. न. लोहरी

ड. ग. ए.

ड. ए. ए.

ड. न. म. म.

ड. ए. ए.

ड. ए. ए.

ड. ए. ए.

ड. ए. ए.

ड. न. म. म.

ड. ए. ए.

(A. K. SINGHAL)
Executive Engineer (T&C)
RVPNL, Ajmer

ड. ए. ए.

ड. न. म. म.

हस्ताक्षर :-

किशनाराम

अमराराम

मोहम्मद आमीन

प्रीतम

वैभव

पद्मराज चौधरी

दादराम

वैभव

प्रीतम

मोहम्मद

राधेशंकर चौधरी

अवधलाल

सोनीराम मेहता

जगदीश चौधरी

नाथ

दादराम

सज्जनसिंह

किशनाराम

पद्मराज चौधरी

पद्म

मोहम्मद
कौमल

(Signature)

(A. K. SINGHAL)
Executive Engineer (T&C)
RVPNL, Ajmer

मोहम्मद

वैष्णव वन अधिका संमिति

ग्राम समिति के उत्सव सत्र 03 दिनांक 18-5-17 के सन्तति काज दिनांक 8-6-17 को ग्राम बुडियास की वन अधिका संमिति के गहन हेतु वैष्णव का आयोजन रखा गया जिसकी कार्यवाही इस प्रकार है।

वन अधिका संमिति में निम्न सदस्यों का नाम सर्वसम्मति से रखा गया।

क्र. सं.	नाम सदस्य
01	सज्जन सिंह 5/0 श्री सवाई सिंह
02	गीता 5/0 रामलाल
03	कमला 5/0 मुगनाराम
04	आशा 5/0 सोहनराम
05	ममदा 5/0 बूदराम
06	रामपाल 5/0 रामदीन
07	रामचन्द्र 5/0 लाडराम
08	उमराव सिंह 5/0 मोहन सिंह
09	हनुमान सिंह 5/0 कल्याण सिंह
10	मोहन 5/0 भागीरथ

उक्त सदस्यों का नाम कर समिति के अनुमोदन जिसमें श्री सज्जन सिंह को वन अधिकार समिति अध्यक्ष एवं श्री गीता को सचिव पद पर चुना गया।

- 01 श्री सज्जन सिंह — अध्यक्ष
02 श्रीमती गीता — सचिव

(A. K. SINGH)
Executive Engineer (T&C)
RVFNL, Ajmer

सदस्यता व सचिव का सर्वसम्मति से
चुनाव किया गया है। बैठक का
संदर्भ समापन किया गया।

संजय सिंह

गीता
आशा

कमला

यमदा

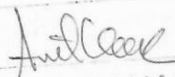
रामपाल

रामचन्द्र

हनुमान सिंह

रुमशत सिंह

मोहन


(A. K. SINGHAL)
Executive Engineer (T&C)
RVPNL, Ajmer

दिनांक 08-06-17

आज दिनांक 08-06-17 को ग्राम बुधियाका
की वन अधिकार समिति का गठन
किया गया। इस समिति के श्री
सुजन सिंह को अध्यक्ष एवं श्रीमती जीता
को समिति का सचिव चुना गया है।
श्रीमान उपलब्ध अधिकारी परबतसा को
समिति का गठन कर सूचना फेविस
की जाती है।

समिति

Anil Kumar

(A. K. SINGHAL)
Executive Engineer (T&C)
RVPNL, Ajmer

वन अधिकार समिति की बैठक

आज दिनांक 28-6-17 को वन अधिकार समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता श्री सज्जन सिंह द्वारा की गयी।

आज दिनांक 28-6-17 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार "राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम" के तहत प्रस्तावित वन भूमि के सम्बन्ध में ग्राम खुडियास, ग्राम पंचायत कालेटड़ा में अनुसूचित / अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत परिभाषित कोई भी वन अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी का व्यक्ति समुदाय उक्त अधिनियम नियमों के अन्तर्गत दायर किसी भी प्रमाण की वन अधिकार हेतु उपरोक्त अधिनियम एवं नियम में उल्लेखित पात्रता नहीं रखता / प्रभावित नहीं होता है।

अतः इस संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की अनुमति दी जाती है।

गीता
आशा
चमपा
रामचन्द्र
हनुमान सिंह

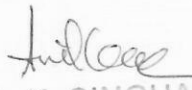
सज्जन सिंह

कमला

रामपाल

उमराव सिंह

मोहन


(A. K. SINGHAL)
Executive Engineer (T&C)
RVPNL, Ajmer

॥२॥

निर्देश

21312

(राज.) वर्ष 20.

वैठक होने की दिनांक	वैठक का स्थान	अध्यक्ष/समपंच के नाम	उपस्थित सदस्यों के नाम	वैठक में की गई कार्यवाहियाँ	वैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर
03-07-2017	आइएसीपी अफिलेड केंद्र	(समपंच) डी-डीनेश कुमार राय खेत	गोविंदराज	आज दिनांक 03-07-2017 को आंध्रप्रदेश के आइएसीपी केन्द्र पर प्रधान की पहिचान बैठक का आयोजन समपंच अतिथि की अध्यक्षता में किया गया। समुदाय सचिव द्वारा गलत बैठक कार्यवाई की साइन से प्रकाश कुमार व स्वयं भाग लेते थे जो कि पुष्टि व अनुमोदन बिना किया गया।	रजिस्टार
			(3) सुमरस (आई पंच)	प्रसाद सो। राम खेत घडेन सहियु लाओन्	
			(4) चमारस (आई पंच)	पत्र जमात एक 12 (1) साप्ताह्य/2017/3536-37 दिनांक 6-6-2017 को आंध्र की बैठक में पत्रों सुनाया गया। पत्रों 3536-37 दिनांक 6-6-2017 तक अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत जन जाती (जन अधिकारी की जानकारी)	उपाध्यक्ष

12/24/88

420 m/f 12341 2191

7-11-24

1

Heard

कार्यालय ग्राम पंचायत कालेटड़ा पं.स. परबतसर (नागौर)

श्रीमती राजेश्वरी

सरपंच-ग्राम पंचायत, कालेटड़ा

मो.: 7023578733

क्रमांक : ३३०५० को/ 2017/15

दिनांक : ०३/०७/२०१७

अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आग रजिस्ट्रार के रकम
अं ५२५, ५५४ में अनुसूचित जनजाति और अन्य
परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता)
अधिनियम २००६ के तहत कोई कार्य नहीं किया
जाता है यदि उक्त भूमि पर और वन कार्य किया
जाता है तो ३३०५० को कोई आपत्ति नहीं है

प्रमाण पत्र आज दिनांक ०३-०७-२०
के ग्राम पंचायत के प्रस्ताव सं ०१ पर लिये गये
निर्णय के आधार पर जारी किया गया।

प्रमाणित
३२/११
ग्राम सेवक / पटेल सचिव
ग्राम पंचायत कालेटड़ा
पं.स. परबतसर (नागौर)

ग्राम सेवक / पटेल सचिव
ग्राम पंचायत कालेटड़ा
पं.स. परबतसर (नागौर)

राजेश्वरी
ग्राम पंचायत कालेटड़ा
पं.स. परबतसर (नागौर)

A.K. SINGHAL
(A. K. SINGHAL)
Executive Engineer (T&C)
RVPNL, Ajmer

कार्यालय ग्राम पंचायत कालेटड़ा पं.स. परबतसर (नागौर)

श्रीमती राजेश्वरी

सरपंच-ग्राम पंचायत, कालेटड़ा

मो.: 7023578733

क्रमांक : ७७०५०८७०/२०१२/१७

दिनांक : ०३/०७/२०१७

सेवा में,

मानव विकास अधिकारी महोदय

पं.स. परबतसर
(नागौर)

विषय : → वन अधिकार अधिनियम २००६ की धारा ३२ के तहत अनापत्ति
उपान पत्र जारी करने के लिए।

प्रस्ताव : → पत्र क्रमांक ६१० दिनांक १५-०६-२०१७ है इस में

उपरोक्त विषयार्थक प्रस्तावित पत्र ७७०५० कालेटड़ा की ब्लॉक डिवीज ०३-०७-२०१७
को कोरम के संमेलन अनापत्ति उपान पत्र जारी है। प्रस्ताव लेने पर ७७०५०
के पं.स. के अनुसार २२० केवी डबल सर्किट लाइन के निर्माण है।
४०० केवी जी एस एस अपरेटर से २२० केवी जी एस एस मैकडा तक जो बिजली
लाइन जो कि ग्राम मुख्यालय के अनुसार संपर्क ५५४ मीटर ०.४० हैम्टी. समान
५२५ मीटर ०.३२ हैम्टी. है कुल हैम्टी १.१२ है। सूची प्रत्यार्थक के
सम्बंध में इन सम्बंध में कोई आपत्ति नहीं है। वर्तमान सूची में कोई
अपेक्षा पत्र जारी नहीं है। वर्तमान सूची में कोई
अपेक्षा पत्र जारी नहीं है। वर्तमान सूची में कोई

अपेक्षा पत्र उपान पत्र ७७०५० कालेटड़ा की पालिका के पासिक ब्लॉक डिवीज
०३-०७-२०१७ के अनुसार संपर्क ५५४ मीटर ०.४० हैम्टी. समान
५२५ मीटर ०.३२ हैम्टी. है कुल हैम्टी १.१२ है। सूची प्रत्यार्थक के
सम्बंध में इन सम्बंध में कोई आपत्ति नहीं है। वर्तमान सूची में कोई
अपेक्षा पत्र जारी नहीं है। वर्तमान सूची में कोई

प्रमाणित
आमदार

ग्राम सेवक/पटेल सचिव
ग्राम पंचायत कालेटड़ा
(नागौर)

राजेश्वरी
सरपंच

ग्राम पंचायत कालेटड़ा

पं.स. परबतसर (नागौर)

(A. K. SINGHAL)

Executive Engineer (T&C)

RVPNL, Ajmer

ग्राम सेवक/पटेल सचिव

ग्राम पंचायत कालेटड़ा

पं.स. परबतसर (नागौर)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, परबतसर जिला नागौर राज0

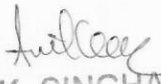
क्रमांक/विविध/2017/203-207

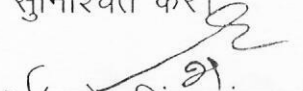
दिनांक 27.07.2017

- प्रेषिति —
1. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, परबतसर।
 2. क्षेत्रिय वन अधिकारी, परबतसर।
 3. तहसीलदार, परबतसर।
 4. सरपंच ग्राम पंचायत कालेटड़ा
 5. सचिव ग्राम पंचायत कालेटड़ा

विषय — सहायक अभियन्ता, राजस्थान विधुत प्रसारण निमग लि. ब्यावर को एफ.आर.ए. जारी करने के संबंध में बैठक की सूचना बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि 220 के.वी.डबल सर्किट लाईन के निर्माण हेतु 400 के.वी. जीएसएस अजमेर से 220 के.वी. जीएसएस भैरुन्दा के मध्य परबतसर तहसील के ग्राम खुण्डियास में से वन भूमि में से लाईन जाना प्रस्तावित है जिससे अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र जारी किये जाने के संबंध में उपखण्ड अधिकारी कार्यालय परबतसर में दिनांक 31.07.2017 को दोपहर 12 बजे बैठक आयोजित की गई है। अतः आप नियम तिथि, स्थान व समय पर आवश्यक तैयारी के साथ बैठक में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। विकास अधिकारी पंचायत समिति परबतसर को आदेशित किया जाता है कि संबंधित पंचायत समिति सदस्य को भी सूचित किया जाना सुनिश्चित करें।


(A. K. SINGHAL)
Executive Engineer (T&C)
RVPNL, Ajmer


(राजेन्द्रसिंह चांदावत)
उपखण्ड अधिकारी,
परबतसर।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, परबतसर, जिला नागौर, राज0

प्रमाण-पत्र

दिनांक 31.07.2017 को आयोजित उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार संबंधी बैठक की अनुशंषा एवं ग्राम पंचायत कालेटड़ा की बैठक दिनांक 03.07.2017 की अनुशंषा के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि 200 के.वी.डबल सर्किट लाईन के निर्माण हेतु 400 के.वी. जीएसएस अजमेर से 220 के.वी.जीएसएस भैरुन्दा के मध्य परबतसर तहसील के ग्राम खुण्डियास की वन पट्टी के तहत प्रस्तावित वन भूमि के संबंध में एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट जारी किये जाने बाबत अनुसूचित जाति/जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के अंतर्गत परिभाषित कोई भी अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी का व्यक्ति/समुदाय उक्त अधिनियम/नियमों के अंतर्गत देय किसी भी प्रकार के वन अधिकार हेतु उपरोक्त अधिनियम एवं नियम में उल्लेखित पात्रता नहीं रखता/प्रभावित नहीं होता है। अतः इस संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

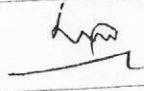
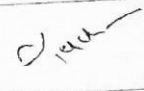
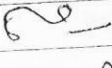
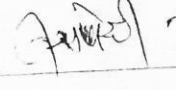
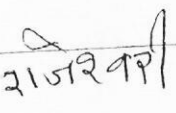
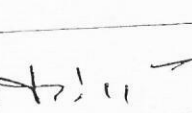
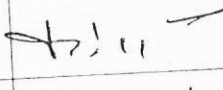
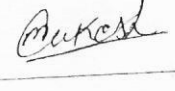

(A. K. SINGHAL)
Executive Engineer (T&C)
RVPNL, Ajmer


(राजेन्द्रसिंह चांदावत)
उपखण्ड अधिकारी,
परबतसर।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, परबतसर, जिला नागौर, राज0

बैठक कार्यवाही विवरण

आज दिनांक 31.07.2017 को उपखण्ड अधिकारी, परबतसर के कक्ष में दोपहर 12:00 बजे श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, नागौर के पत्र क्रमांक:एफ.12()राजख/2017 /3536-37 दिनांक 06.06.2017 के क्रम में 200 के.वी.डबल सर्किट लाईन के निर्माण हेतु 400 के.वी.जीएसएस अजमेर से 220 के.वी.जीएसएस भैरुन्दा के मध्य परबतसर तहसील के ग्राम खुण्डियास में वन पट्टी के लिये अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के संबंध में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें निम्नांकित सदस्यगण उपस्थित हुए :-

क्रम संख्या	नाम अधिकारीगण/सदस्य	हस्ताक्षर
1	श्री राजेन्द्रसिंह चांदावत उपखण्ड अधिकारी, परबतसर	
2	श्रीमती रेखा गौड़ विकास अधिकारी, पं0स0परबतसर	
3	श्री गुरुप्रसाद तंवर तहसीलदार परबतसर	
4	श्री क्षेत्रीय वन अधिकारी, परबतसर	
5	श्री पंचायत समिति, सदस्य परबतसर	
6	श्रीमती राजेश्वरी सरपंच ग्राम पंचायत कालेटड़ा	
7	श्री विनीत कुमार सचिव, ग्राम पंचायत कालेटड़ा	
8	श्री हनुमान नाथ (JEN) O/O AEN (T&C) RVPN BEAWAR	

आज इस बैठक में उपस्थित क्षेत्रीय वन अधिकारी, सरपंच ग्राम पंचायत एवं उपस्थित सदस्यों ने अवगत कराया कि प्रस्तावित भूमि अनुसूचित जाति/जनजाति व अन्य परम्परागत वन निवासी क्षेत्र नहीं होने से प्रस्तावित वन भूमि के संबंध में एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट जारी किये जाने बाबत कोई दावा/आपत्ति नहीं है। अतः सर्वसम्मति से बैठक कार्यवाही विवरण व वांछित प्रमाण पत्र श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, नागौर को भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया। अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।


(A. K. SINGHAL)
Executive Engineer (T&C)
RVPNL, Ajmer


उपखण्ड अधिकारी,
परबतसर।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, परबतसर, जिला नागौर, राज0

क्रमांक: राजस्व/2017/209

दिनांक 31.07.2017

प्रेषिति — श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय,
नागौर।

विषय — अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में।

प्रसंग — श्रीमान् का पत्रांक::एफ.12()राजस्व/2017 /3536-37 दिनांक 06.06.17 के क्रम में

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रसांगिक पत्र के संबंध में निवेदन है कि 200 के.वी. डबल सर्किट लाईन के निर्माण हेतु 400 के.वी.जीएसएस अजमेर से 220 के.वी.जीएसएस भैरुन्दा के मध्य परबतसर तहसील के ग्राम खुण्डियास में वन पट्टी के लिये अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के संबंध में दिनांक 31.07.2017 को बैठक आयोजित की गई। बैठक कार्यवाही विवरण की प्रति संलग्न है। उक्त वन क्षेत्र के संबंध में एफ.आर. ए. सर्टिफिकेट जारी किये जाने के संबंध में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने से वांछित प्रमाण पत्र इस पत्र के संलग्न कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

भवदीय


(A. K. SINGHAL)
Executive Engineer (T&C)
RVPNL, Ajmer


(राजेन्द्रसिंह चौदावत)
उपखण्ड अधिकारी,
परबतसर।